V MART

PRICE "LESS" FASHION

Ref. No. CS/S/L-511/2021-22 **4th August, 2021**

To:	To:
The Listing Department **NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED** "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 **Scrip Code: VMART** Fax: 022-26598120 Email: cmlist@nse.co.in	The Corporate Relationship Department **THE BSE LTD** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Scrip Code: 534976** Fax: 022-22723121 Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Newspaper advertisement for 19th Annual General Meeting & Book closure

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication of Notice of ensuing 19th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, 25th August, 2021 and Closure of Register of Members and Share Transfer Books of the Company, as published in terms of the Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, on Wednesday, 4th day of August, 2021, in "Financial Express" English Edition and "Jansatta" — Hindi Edition newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Your Truly
For V-Mart Retail Limited

V-MART RETAIL LTD.

Anand Agarwal
Chief Financial Officer

V-MART RETAIL LTD.
CIN- L51909DL2002PLC163727
Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurgaon - 122 016 (Haryana)
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 • Email : info@vmart.co.in • Website : www.vmart.co.in
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092

Sugar co-ops meet Shah, seek higher MSP

FE BUREAU
Pune, August 3

REPRESENTATIVES OF THE National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) met Amit Shah, Union Minister of Cooperation, on Tuesday to seek a higher minimum support price (MSP) for sugar. In their representation, federation chairman Jayprakash Dandegaonkar said sugar MSP should invariably be linked with sugarcane fair and remunerative price (FRP).

"The current average production cost of sugar is ₹36 per kg. The recommendation of revenue sharing formula by the committee headed by Dr C Rangarajan has been accepted by the Centre, according to which if 70% and 75% of revenue is to be paid as cane price, the sugar MSP logically cannot be lower ₹37.50 per kg," he said.

In 2019, the MSP was raised from ₹29 per kg to ₹31 per kg in line with upward revision in FRP. But for the last two-and-a-half years, MSP has not been revised despite rise in FRP, he pointed out. Declaring uniform MSP for all grades of sugar has totally disturbed the market and hence, differential grade-wise pricing is requested to remove the current anomaly, Dandegaonkar said.

There is a market premium of ₹1.5 / kg for bigger grain sugar. The upward revision in MSP will immediately raise the valuation of sugar stock in godowns, helping cash liquidity of ailing sugar mills, which will help them clear sugarcane arrears of farmers, he said.

The federation also pointed out that the Tripartite Agreement [TPA] among ethanol suppliers, OMC's and banks has not been beneficial for cooperative sugar distilleries due to their unhealthy balance sheets. As a result, only 88 out of 422 proposals have been funded by banks in which share of cooperatives is negligible.

Vahdam Teas taps gardens for deeper penetration overseas

INDRONIL ROYCHOWDHURY
Kolkata, August 3

TEA SUPPLY CHANNELS are increasingly changing their sourcing patterns, preferring to source more from gardens directly rather than from auction platforms. Amid all the hard-talks between the North Eastern Tea Association (NETA) and the Tea Board of India regarding the changes required in price sharing formula (PSF) between growers and manufacturers, the disputes in minimum benchmark price (MBP) and minimum acceptable quality (MAQ) for green tea remain unresolved.

Companies like Vahdam Teas, which doesn't own a garden but works with over hundreds tea gardens from Darjeeling, Assam, Nilgiris, Kamgras and others are now directly sourcing from gardens and have been aggressively tapping the overseas markets. Exporting to 130 countries last year, Vahdam clocked 110% revenue growth at ₹159 crore in FY21 against ₹75 crore in FY20.

Shalimar Wires Industries Limited
CIN : L74140WB1996PLC081521
Registered Office : 25, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700 013
Tel : 91-33-22349308/09/10,
Fax : 91-33-2211 6880,
email ID : kejriwal@shalimarwires.com
website : www.shalimarwires.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th August, 2021 to consider and approve, inter-alia, the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021.

The information is also available on the Company's website at www.shalimarwires.com and also on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For **Shalimar Wires Industries Ltd.**
Place : Kolkata **S.K. Kejriwal**
Date : 3rd August, 2021 **Company Secretary**

Vaibhav Global Limited
Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur– 302004. Phone: 91-141-2601020;
Fax: 91-141-2605077;
CIN: L36911RJ1989PLC004945
Email: investor_relations@vaibhavglobal.com;
Website: www.vaibhavglobal.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder, the Company has fixed the Record Date as Friday, 06th August, 2021 for the purpose of Interim Dividend declared by Board of Directors for the financial year 2021-22.

Note: This publication is in addition to the intimation on the same vide publication dated 30th July, 2021.

For **Vaibhav Global Limited**
Sd/-
Sushil Sharma
Place : Jaipur (Company Secretary)
Date : 29th July, 2021 FCS: 6535

Weizmann Limited
CIN : L65990MH1985PLC038164
Regd. Office : 214, Empire House, Dr. D. N. Road, Ent. A. K. Nayak Marg, Fort, Mumbai – 400 001.
Website: www.we.izmann.co.in,
Email: contact@weizmann.co.in
Tel. Nos : 022-22071501 (6 lines)
Fax No.: 022-22071514

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) that pursuant to Regulation 33 of Listing Regulations, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th August, 2021, inter alia, to consider, approve and take on record amongst other things, Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2021.

The information contained in this Notice is also available on the website of the Company ie. www.weizmann.co.in and also on the website of the Stock Exchanges, where shares of the Company are listed ie. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors
For WEIZMANN LIMITED
Sd/-
Place: Mumbai **Ami Purohit**
Date: 03.08.2021 **Company Secretary**

V-MART RETAIL LIMITED

(CIN - L51909DL2002PLC163727)

Regd. Off.: 610-611 Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opposite SBI Bank, Laxmi Nagar New Delhi 110092
Corporate Off: Plot no 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase-V, Gurgaon, 122016 (Haryana).
Tel: 0124-4640030; **Fax:** 0124-4640046, **Email:** info@vmart.co.in | **Website:** www.vmart.co.in

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'ACT') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with the relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular') and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), notice is hereby given that the 19thAnnual General Meeting ('AGM') of the members of V-Mart Retail Limited ("Company") will be held on Wednesday, August25, 2021, at 10.00 A.M.(IST) through Video Conferencing ("VC")' Other Audio Video Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Ordinary and Special Business as stated in the Notice convening the said AGM.

In compliance with the provisions of MCA vide its Circular No. 02/2021 dated January 13,2021,Circular No, 14/2020datedApril8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI Circular dated 15th January, 2021 & 12th May, 2020, Notice of the AGM together with the Balance sheet as at March 31, 2021, Statement of profit & loss for the year ended on that date including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, report on Corporate Governance, containing therein the instruction fore-voting and participation in the AGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 3rd August, 2021.The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is also available on the Company's website www.vmart.co.in and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited at URL: https://evoting.kfintech.com/.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronics means on proposed resolutions to be passed at AGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is Wednesday, 18th August, 2021. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in the meeting.

The e-voting period commences on Sunday, 22nd August, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 24th August, 2021 at 5.00 p.m. (IST).The e-voting module shall be disabled by KFin Technologies Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility during the AGM.Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 18thAugust, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com.

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for e-voting which forms part of the Notice of 19th Annual General Meeting before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://evoting.kfintech.com under the Help & FAQ's Section or you can contact on Toll-Free Number 1800-3454-001 or Mr. Raghu Veedha, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, State Telangana at designated e-mail ID evoting@kfintech.com, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at cs@vmart.co.in.

Members who have not registered their email ID with the depository participants are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at einward.ris@kfintech.com or cs@vmart.co.in along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address, and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or by contacting our RTA KF in Technologies Pvt.Ltd. (KFintech).

Members may participate in the AGM through VC/ OAVM at https://evoting.kfintech.com/by using their remote e-voting login credentials and selecting the 'Event' for Company's AGM. Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice. Members, who need technical assistance before or during the AGM, can contact RTA at Phone: +91 40 6716 2222.

The facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for the AGM and will be available for Members on a firstcome firstserved basis.Members, who would like to ask questions during the 19th AGM need to register them selves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email address cs@vmart.co.in or by visiting https://emeetings.kfintech.com and click on "Speaker Registration" from 22nd August, 2021 at 9.00 am I.S.T. to 24th August, 2021 at 5.00 pm I.S.T. Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the 19th AGM, depending upon the availability of time. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of the meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and ShareTransfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 19th day of August, 2021 to Wednesday, the 25th day of August, 2021 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and annual closing.

By order of the Board For V-Mart Retail Ltd.
Place: Gurugram **Sd/- Megha Tandon**
Date: 3rd August, 2021 **(Company Secretary)**

The Shipping Corporation Of India Ltd.

(A Government of India Enterprise)

SCI
Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 & ISO 45001:2018 Certified)

"SHIPPING HOUSE" 245, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021
• Website: www.shipindia.com • Twitter: @shippingcorp
• CIN-No.: L63030MH1950GOI008033

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021

(Amount in ₹ lakhs)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Previous Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Previous Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	102,783	370,325	114,346	102,784	370,329	114,346
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	14,950	63,477	33,158	16,228	71,276	35,097
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	14,950	63,477	33,158	16,228	71,276	35,097
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	14,573	61,810	31,748	15,851	69,609	33,687
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,092	63,878	32,114	15,834	71,880	32,316
6	Equity Share Capital	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	743,622	-	-	770,173	-
8	Earnings Per Share(of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations) (in ₹)						
	Basic :	3.13	13.27	6.82	3.40	14.94	7.23
	Diluted :	3.13	13.27	6.82	3.40	14.94	7.23

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (**www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**) Company's website: **www.shipindia.com**

b) Standalone & Consolidated Financial results for the quarter ended 30th June 2021 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind-AS).

c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 03rd August 2021.

For The Shipping Corporation of India Ltd
Mrs. H. K. Joshi
Chairperson & Managing Director and Director (Finance), Addl. Charge
DIN - 07085755

Place: Mumbai
Date: 03/08/2021

TRANSPORTING GOODS. TRANSFORMING LIVES.

HSBC MUTUAL FUND

NOTICE-CUM-ADDENDUM

Change in Registered Office Address:

NOTICE is hereby given that the registered office address of HSBC Mutual Fund ("the Fund"), HSBC Asset Management (India) Private Limited (the Investment Manager of the Fund/AMC) and office address of Board of Trustees of the Fund, shall be changed to the new address **w.e.f. August 05, 2021** as mentioned below:

Old Address and Contact details	New Address and Contact details
16 V. N Road, Fort, Mumbai – 400 001, India. Fax: 022-49146254	9-11 Floors, NESCO IT Park, Building no. 3, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai – 400 063, India. Fax: 022- 49146033

Further, the below contact details of the AMC/the Fund, Customer/ Investor services remain unchanged and shall continue to be as follows:
Tel.: 1800 200 2434 / 1800 258 2434
E-mail: hsbcmf@camsonline.com

The address of the Fund/the AMC/ Board of Trustees, Investor Services Officer and Official Point of Acceptance for Transactions requests (Mumbai Location) in the Scheme Related Documents shall be consequently modified including incidental changes thereto.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information, Scheme Information Document(s) and Key Information Memorandum(s) of the Fund, as amended from time to time.

Applicants(s)/Unit holder(s) may contact our Customer Service Number - 1800 200 2434/ 1800 258 2434 or their financial advisor(s), for any additional information/clarifications. You may also visit our website or write to us at hsbcmf@camsonline.com for any other related information.

For & on behalf of HSBC Asset Management (India) Private Limited

Sd/-
Authorised Signatory
Mumbai, August 3, 2021

HSBC Asset Management

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC Asset Management (India) Private Limited, 16, V.N. Road, Fort, Mumbai-400001.
e-mail: hsbcmf@camsonline.com, website: www.assetmanagement.hsbc.co.in
Issued by HSBC Asset Management (India) Private Limited
CIN-U74140MH2001PTC134220

infoedge
INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi–19
Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095
Web: http://www.infoedge.in/; email: investors@naukri.com

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Friday, August 27, 2021 at 05:30 pm through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in Notice calling the 26th AGM of the Company which has been sent to the Members of the Company along with Annual Report for the FY 2021. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-110019.

Due to continuing spread of COVID-19 pandemic and pursuant to MCA General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred as "Relevant Circulars"), the Company has on August 3, 2021 duly sent the AGM notice and Annual Report by e-mail only, to the Members of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing Remote E-voting facility ("Remote E-voting") and facility of E-voting system during the AGM ("E-voting") (collectively referred as "electronic voting") to all eligible members as per applicable provisions of the Act and relevant circulars on all the business items as set out in the Notice of AGM. Members who will not cast their votes by Remote E-voting shall be able to vote at the AGM through E-voting. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the Agency to provide electronic voting facility and Video Conferencing facility to conduct the AGM through VC. M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for conducting the electronic voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

(a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, August 20, 2021, only shall be entitled to cast their vote through electronic voting, on businesses as set out in the Notice.

(b) The e-mailing of notice along with the Annual Report has been completed by the Company on August 3, 2021.

(c) The voting period commences on Monday, August 23, 2021 (09:00 am) and ends on Thursday, August 26, 2021 (05:00 pm). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date.

(d) Any person, who acquires shares of the Company & becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. August 20, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or at evoting@naukri.com. If a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

(e) Once a vote on a resolution is cast by the member by using Remote E-voting facility, the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by Remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

(f) Members may note that the Notice of 26th Annual General Meeting and the Annual Report for FY 2021 are also available on the Company's website www.infoedge.in and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com and are available for inspection at registered office of the Company during normal hours on any working day.

(g) Members may note that the Company will be providing a facility to view the live streaming of the AGM Webcast on the NSDL website. The members may access the same by following the Remote E-voting process as given in the AGM notice. The Webcast facility will be available from 05:30 pm onwards on August 27, 2021

(h) Those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail addresses registered for electronic voting by following the procedure given below:

a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@naukri.com.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@naukri.com. Individual shareholder holding securities in demat mode, are requested to refer to the login method explained in the Notice.

c) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user-id and password for E-voting by providing above mentioned documents.

d) Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

(i) In case of any grievance/ concern connected with e-voting, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, e-mail evoting@nsdl.co.in, Contact no. 1800 1020 990 or 1800 22 44 30. Members may also contact Mr. MM Jain, Company Secretary for any query connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at B-8, Sector-132, Noida-201304 (U.P.), Tel.: +91-120-3082005, email: evoting@naukri.com

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 21, 2021 to Friday, August 27, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By **Order of the Board of Directors**
For **Info Edge (India) Ltd.**

Date: August 3, 2021 **(MM Jain)**
Place: Noida **SVP-Secretarial & Company Secretary**

अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में हुआ था पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त

विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच लोकसभा ने मंगलवार को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाए रखने का नया उपबंध किया गया है। यह विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसके लागू होने से हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है, इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अतः इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए।

सदन में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस विधेयक को पेश किया था। उन्होंने बताया कि देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है, उससे पूरा सदन अवगत है। इसलिए हमारी सेना को आयुध की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। देश की सीमाओं पर जो स्थिति है, उस स्थिति में सरकार नहीं चाहती कि कहीं पर भी कोई परेशानी आए। इस विधेयक से किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का अहित नहीं होगा। इस विधेयक पर विपक्षी की आपत्तियां निराधार है।

> *रक्षा* मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसके लागू होने से हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी।
> *इस* संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है, इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अतः इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पूर्व का कानून 1990 में खत्म हो चुका है। आवश्यक रक्षा आयुध सेवाओं के लिए कोई कानून नहीं था। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मंत्रिमंडल ने 30 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी। विधेयक में किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है और कर्मचारियों को मिलने वाली सुख-सुविधा में कोई कटौती नहीं होती है। रक्षा राज्य मंत्री ने सदस्यों से अपील की कि सभी लोग मिल कर इस विधेयक को पारित करें क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

उधर, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदन व्यवस्था में नहीं है, और इस तरह से विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा हो और फिर सभी मुद्दों पर चर्चा हो। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी विधेयक का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी।

कार-बस की भिड़ंत में होम्योपैथी के चार विद्यार्थियों की मौत

राजकोट, 3 अगस्त (भाषा)।

गुजरात के राजकोट जिले में वाजदी गांव के नजदीक राज्य परिवहन की बस और एक कार में मंगलवार को हुई भिड़ंत में होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के चार विद्यार्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी मृत विद्यार्थियों की उम्र 20 साल के आसपास थी।

लोधिका पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि हादसा उस समय हुआ, जब 15 विद्यार्थी तीन कारों में सवार होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि उनमें से एक कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा से आ रही राज्य परिवहन की बस से टकरा गई, जिसमें तीन विद्यार्थियों की मौके पर ही मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि चौथे विद्यार्थी की मौत अस्पताल में हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल अन्य विद्यार्थियों का राजकोट शासकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं। बस राजकोट से कालावाड जा रही थी। उन्होंने बताया कि मृत विद्यार्थियों की पहचान निशांत दवडा (21), फोरम धांगधारिया (22), आदर्श गोस्वामी (21) और सिमरन गिलानी (22) के तौर पर की गई है।

पेगासस मामले पर नीतीश का बयान स्वागत योग्य : कांग्रेस

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच की पैरवी किए जाने संबंधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान स्वागतयोग्य है और अब उनकी पार्टी जनता दल (एकी) को इस मुद्दे पर संसद में विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए। बहरहाल, कांग्रेस के सहयोगी और बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को तभी गंभीर माना जाएगा जब वह अपने कहे पर कायम रहेंगे और अपनी बात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार ने पेगासस मामले पर पूछे जाने पर सोमवार को कहा था कि फोन टैपिंग से जुड़े सभी पहलू की जांच की जानी चाहिये ताकि सच्चाई बाहर आ सके।

मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में सोमवार को आयोजित 'जनता दरबार' के बाद उन्होंने कहा, 'मेरी समझ से इससे जुड़े एक-एक पहलू को देखकर उचित कदम उठाया जाना चाहिए। फोन टैपिंग को लेकर संसद में कुछ सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। इससे जुड़े सभी पहलू की जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आए।' नीतीश कुमार के बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, 'मुख्यमंत्री जी का बयान स्वागत योग्य है। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने ठीक बात कही है।' उन्होंने यह भी कहा, 'जद (एकी) को भी इस मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहिए। सदन में विपक्ष के साथ खड़े हो जाना चाहिए।'

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी कहा कि अब इस मुद्दे पर जद (एकी) को खुलकर विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम नीतीश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच बात उठाई। राहुल गांधी जी ही नहीं, पेगासस के निशाने पर कई लोग थे। केंद्र सरकार लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास करती है।'

मदनमोहन झा के अनुसार, 'मैंने पहले भी बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी को इस बात की आशंका है कि इस हथियार (पेगासस) का इस्तेमाल कहीं उन पर नहीं हो रहा हो। भाजपा और जद(यू) में कैसे रिश्ते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है।' उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे पर जद (एकी) को हमारे साथ आना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान ने कहा कि नीतीश कुमार और कप्तान सिंह सोलंकी (पूर्व राज्यपाल) के बयानों के बाद अब केंद्र सरकार को पेगासस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जी ने हिम्मत दिखाई है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।' कप्तान सिंह सोलंकी ने भी जांच की बात की थी। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो ऐसा चाहते होंगे, लेकिन नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई का डर लग रहा होगा। सरकार को अब जेपीसी जांच के लिए तैयार होनी चाहिए।'

ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की याचिका खारिज, जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनावों में मत पत्रों का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि वकील सीआर जया सुकिन की याचिका 'प्रचार हित याचिका' (पीआइएल) है जो अफवाहों और निराधार आरोपों एवं अनुमानों पर आधारित है। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता (सुकिन) ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिया। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।'

याचिका चार दस्तावेजों पर आधारित थी, जिनमें से एक कोई खबर थी और अन्य उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसके प्रतिवेदन एवं याचिका से संबंधित थे, और सुकिन को खुद ईवीएम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।

अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने खबर पढ़ी और ईवीएम और उसके कामकाज को देखे बिना याचिका दाखिल कर दी...जिसे निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संसद की भी स्वीकृति प्राप्त है।' अदालत ने कहा कि सुकिन शोध करने और उचित तर्कों के साथ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

अदालत ने आदेश दिया, 'याचिका 10,000 रुपए के अर्थदंड के साथ खारिज की जाती है जिसे चार हफ्ते के अंदर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा।'

निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि देश की कई अदालतें पहले ही इसपर गौर कर चुकी हैं और मुद्दे पर फैसला दे चुकी हैं।

सस्ती लोकप्रियता के लिए राहुल अपना रहे हैं हथकंडे : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को बंधक बनाने और सरकार को बदनाम करने के लिए हंगामा करने और भाग जाने की रणनीति अपनाई है।

केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा में उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी सदस्य खुद को भाजपा विरोधी समूह के नेता के रूप में पेश करने की होड़ में हैं और इसके लिए सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले और तीन केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है और इस वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है।

राज्यसभा सदस्य व भाजपा के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर चलाकर तो कभी साइकिल से संसद पहुंचकर सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है इसलिए खबरों में बने रहने के लिए इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार चर्चा कराना चाहती है और विपक्ष इससे भाग रहा है। नकवी ने कहा कि विपक्ष हंगामा करने और फिर भाग जाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वह सरकार को बदनाम करने के लिए संसद में कार्यवाही को बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते विपक्ष देश विरोध पर उतर आया है।

लालू ने की शरद यादव से मुलाकात

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव से मंगलवार को मुलाकात की और दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर करीब एक घंटे तक बातचीत की। राजद नेता ने कहा कि समाजवादी नेताओं शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी खुद की अनुपस्थिति के कारण संसद में जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता चिराग पासवान का भी समर्थन किया।

सांसद एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पासवान हाल में पार्टी में उस वक्त कमजोर पड़ गए जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुआई में पांच सांसद उनसे अलग हो गए।

बारिश के कारण हादसों में तीन बच्चों की मौत, एक लापता

जयपुर, 3 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश के कारण हुए दो हादसों में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के राजस्थान के टोंक जिले में एक महिला का शव लेकर जा रही एंबुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। एंबुलेंस में सवार महिला के 12 वर्षीय बेटे की इस दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके पति की तलाश की जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में इसी तरह एक अन्य घटना में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कार में सवार दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

टोंक जिले के बरौनी थानाधिकारी दातार सिंह ने बताया कि जयपुर से गीता देवी (42) का शव लेकर टोंक जा रही एक एंबुलेंस सिरस गांव के पास पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में मृतका के पुत्र की मौत हो गई, जबकि पति की तलाश की जा रही है। एंबुलेंस चालक और एक रिश्तेदार एंबुलेंस की खिड़की तोड़कर छत पर आ गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया।

वहीं सवाई माधोपुर जिले में सोमवार रात एक कार ऊफनते बरसाती नाले के पानी के बहाव में बह गई, जिससे कार में सवार दो नाबालिग बच्चों की मौत हो गई।

अमित शाह से मिले शरद पवार

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चीनी के मूल्य व पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

पवार के साथ राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर और रायगढ़ से राकांपा सांसद भी थे। शाह से मुलाकात के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने उत्पादन की लागत से भी कम चीनी के वर्तमान बिक्री मूल्य को लेकर चर्चा की और सरकार से इस पर गौर करने का अनुरोध किया। पूर्व कृषि मंत्री पवार ने कहा कि उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की जरूरत पर भी बातचीत की। राकांपा प्रमुख ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह चीनी क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर गौर करेंगे।

नकली शराब के मामलों में मौत की सजा का प्रस्ताव मंजूर

भोपाल, 3 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को प्रदेश के आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए नकली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। इस संशोधन प्रस्ताव में 20 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश विधानसभा में अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा।

हाल ही में मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब पीने से कम से कम सात लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत जहरीली शराब से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और इस तरह के मामले में 20 लाख रुपए की जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि अवैध शराब के व्यापार और नकली शराब से होने वाली मौत से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यह संशोधन पेश किए गए हैं।

मिश्रा ने कहा कि कानून के मौजूदा दायरे में नकली शराब के सेवन से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में दोषियों को पांच से अधिकतम दस साल कैद की सजा दी जा सकती है और जुर्माना की राशि भी दस लाख रुपए तक है। इस संशोधन के जरिए प्रदेश के आबकारी कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। जहरीली शराब पीने से पीड़ितों को हुई शारीरिक क्षति के मामले में वर्तमान में एक से छह साल तक की सजा है। इसे बढ़ाकर दस साल से अधिकतम 14 साल किया जा रहा है और इसमें भी 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नकली शराब जब्ती के मामले में वर्तमान में छह माह की सजा को बढ़ाकर अधिकतम चार साल किया जा रहा है।

जजों की नियुक्ति के लिए नामों को अंतिम रूप देगा कॉलिजियम : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को खुलासा किया कि इस समय उसका कॉलेजियम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनके नामों पर विचार कर रहा है और इस संबंध में दायर याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, 'फिलहाल कॉलेजियम की बैठक चल रही है। जब नामों को अंतिम रूप देने के लिए कॉलेजियम की बैठक चल रही हो तो ऐसी स्थिति में इस बारे में कुछ भी कहने का कोई कारण नहीं है।'

पीठ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से कम न्यायाधीश होने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कम होने की वजह से नागरिकों, अर्थव्यवस्था पर कई 'नकारात्मक प्रभाव' पड़ रहा है और लंबित मामलों का बोझ बढ़ा है। राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त भौतिक आधारभूत संरचना और कर्मचारी हैं और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 हैं। इसमें कहा गया है, '17 अप्रैल, 2013 से 31 मई, 2013 तक अधिकतम कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 42 (87.5 प्रतिशत) थी, उसके बाद यह धीरे-धीरे कम हो गई। 30 जून 2014 से, यह कभी भी 67 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं कर पाई। चार दिसंबर, 2019 के बाद, यह 59 प्रतिशत से नीचे और अब 50 प्रतिशत पर बनी हुई है।'

याचिका में कहा गया है, 'न्याय में देरी का न केवल वादियों पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विलंबित न्याय भ्रष्टाचार और कमजोर वर्ग को न्याय से वंचित करने को बढ़ावा देता है।

अंतिम नतीजा यह है कि देश का विकास धीमा हो जाता है।' दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या तीस है।

संसदीय समिति 17 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी

नई दिल्ली, 3 अगस्त (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन एवं विकास की जांच-पड़ताल करने और केंद्रीय पुलिस बलों के कामकाजी हालात की समीक्षा करने के लिए 17 अगस्त से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का पांच दिवसीय दौरा करेगी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गृह मामलों की संसदीय समिति में शामिल सांसदों का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक के करीब दो महीने बाद हो रहा है।

मोदी ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की थी। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर पहली मुलाकात थी।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से समिति के सदस्यों के साथ साझा की गयी सूचना के अनुसार, यह संसदीय समिति 17-21 अगस्त के दौरान लेह, श्रीनगर और जम्मू का दौरा करेगी।

इस दौरे का एजेंडा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन, विकास और जन कल्याण को देखना है। सचिवालय की ओर से कहा गया है कि यह समिति आइटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के कामकाज के हालात की समीक्षा भी करेगी।

महाराष्ट्र बोर्ड में 12वीं में 99.6 फीसद छात्र पास

पुणे, 3 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें 99.63 फीसद छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।

महाराष्ट्र प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई) के अध्यक्ष दिनकर पाटिल ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र (एचएससी) के लिए इस साल कोविड महामारी के आलोक में परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं और छात्रों के आंतरिक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के परिणाम के लिए मूल्यांकन आंतरिक आकलन अंकों के आधार पर किया गया था, जो स्कूलों ने बोर्ड को भेजे थे।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

(CIN - L51909DL2002PLC163727)

V MART

पंजीकृत कार्यालय - 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092.
कॉर्पोरेट कार्यालय - प्लाट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-V, गुरुग्राम - 122016 (हरियाणा).
टेली: 0124-4640030; **फैक्स:** 0124-4640046; **ईमेल:** info@vmart.co.in; **वेबसाइट:** www.vmart.co.in;

19 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान सूचना और बुक क्लोज़र

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 ("लिस्टिंग विनियमन ") के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र(सर्कुलर) के साथ पठित ("एमसीए सर्कुलर") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी सर्कुलर") द्वारा जारी परिपत्र, के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 25 अगस्त, 2021 को सुबह 10.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी"),अन्य ऑडियो वीडियो साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना उक्त एजीएम बुलाने की सूचना में बताए गए साधारण और विशेष कार्य की चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

एमसीए के प्रावधानों के अनुपालन में इसके परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या, 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/ 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और सेबी परिपत्र दिनांकित 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020, 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट के साथ एजीएम की सूचना (नोटिस), उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का बिवरण, जिसमें उसकी अनुसूचियां शामिल हैं और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, जिसमें ई-वोटिंग और एजीएम में भाग लेने के निर्देश शामिल हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉज़िटरी/आरटीए के पास उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार उपलब्ध हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 3 अगस्त, 2021 को पूरा कर लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.vmart.co.in और शेयर बाजार यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यूआरएल: http://evoting.kfintech.com/पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुसार,कंपनी को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित सुझावों पर सदस्यों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है।सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि जो कि बुधवार, 18 अगस्त, 2021 है, को सदस्यों द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे।सिर्फ वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे जिनका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉज़िटरी द्वारा अनुरक्षित हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।

ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 22 अगस्त, 2021 को सुबह 9 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरु होगी और गुरुवार, 24 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जायेगी। इसके बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी प्रस्ताव पर शेयरधारक द्वारा वोट दे दिए जाने के बाद, शेयरधारकों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला हो, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दोबारा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।ऐसे व्यक्ति, जो नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 18 अगस्त, 2021 तक शेयर धारण किये रहते हैं, evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने से पहले कृपया 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया के लिए दिए गए विस्तृत निर्देश देख लें।अगर किसी प्रकार का संदेह हो तो आप वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग के तहत सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या आप टोल-फ्री नंबर 1800-3454-001 पर संपर्क कर सकते हैं।आप श्री रघु वीधा, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032, राज्य तेलंगाना पर नामित ई-मेल आईडी पर evoting@kfintech.com, से भी संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों का समाधान करने में मदद करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को cs@vmart.co.in पर भी लिख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक रुप में धारित शेयरों के संबंध में और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है।उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध ईमेल आईडी से हमारे आरटीए को einward.ris@kfintech.com या cs@vmart.co.in पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कार्ड की कॉपी और शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी,अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी के साथ जमा करें। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, डाक पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत विवरण को मान्य/अपडेट करें।अगर उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो वो अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं अन्यथा हमारे आरटीए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं (केफिनटेक)।

सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से https://evoting.kfintech.com/ पर अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और कंपनी की एजीएम के लिए 'इवेंट' का चयन करके भाग ले सकते हैं। जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, वे +91 40 6716 2222 पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। जो सदस्य 19वीं एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी संख्या / फोलियो संख्या और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ईमेल पते पर अपना अनुरोध भेजकर खुद को स्पीकर के रुप में पंजीकृत करना होगा। cs@vmart.co.in या https://emeetings.kfintech.com पर जाकर 22 अगस्त, 2021 को सुबह 9 बजे (आई एस टी) पर "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें। 19वीं एजीएम के दौरान 24 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे (आई एस टी), समय की उपलब्धता के आधार पर केवल उन सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रुप में पंजीकृत किया है। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि बैठक के समय सटीक और संक्षेप में प्रश्नों को उठाएं ताकि हम सभी का उत्तर दे सकें। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक और वार्षिक समापन के संबंध में गुरुवार, 19 अगस्त 2021 से बुधवार, 25 अगस्त 2021 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

बोर्ड फॉर वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के आदेश से।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 3 अगस्त, 2021

Sd – मेघा टंडन
(कंपनी सचिव)

www.readwhere.com